10 अप्रैल , 2018 को झारखण्ड कैबिनेट ने 14 प्रस्तावों को मंजूरी दिया। मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

****

झारखण्ड में छूटे हुए अविद्युतीकृत आवासों में विद्युतीकरण हेतु प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना ''सौभाग्य'' के लिए कुल रू0 885.12 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति (जिसमें से राज्यांश की राशि 10 प्रतिशत अर्थात रू0 88.512 करोड़ है) तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में उक्त योजना हेतु उपबंधित बजटीय राशि रू 0 90 करोड़ में से 88.512 करोड़ राशि की विमुक्ति की स्वीकृति दी गई।

****

वित्तीय वर्ष 2017-20 के दौरान केन्द्र प्रायोजित रांची स्मार्ट सिटी मिशन अन्तर्गत HEC के द्वारा हस्तांतरित किए गए क्षेत्र में GIS based 220/33 kv subsataion, incoming 220kv transmission line एवं shifting of existing 132kv D/C transmission line by under ground power cable निर्माण करने हेतु मे 0 झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड, रांची से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन पर कुल राशि 243,20,00,000/- (दो सौ तैतालीस करोड़ बीस लाख) रू0 मात्र की स्वीकृति दी गई।

****

राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान (सातवें केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01 जनवरी, 2018 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

****

दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित/प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जनवरी, 2018 के प्रभाव से मंहगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

****

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं के अंतर्गत सामग्रियों के परिवहन इत्यादि हेतु झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को दी जाने वाली प्रति क्विंटल रुपए 75/- की राशि को "कमीशन" ना कहकर "संचालन अनुदान" कहे जाने की स्वीकृति दी गई.

****

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद , रांची द्वारा संबद्धता प्राप्त डिप्लोमा स्तरीय राजकीय एवं निजी क्षेत्र के तकनीकी संस्थानों में पर्षद द्वारा संचालित सभी परीक्षाओं के कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए परीक्षा का आयोजन गृह केंद्र से अन्यत्र किसी अन्य संस्थान में कराने हेतु पूर्व के प्रावधान को संशोधित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई.

संशोधन के उपरांत राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद , झारखंड, रांची के अधीनस्थ डिप्लोमा स्तरीय परीक्षाओं के संचालन के लिए नजदीक के राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय , राज्य सरकार एवं एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त निजी अभियंत्रण महाविद्यालय, अंगीभूत महाविद्यालय, राज्य सरकार द्वारा प्राप्त साधन-संपन्न एफिलिएटेड महाविद्यालय प्लस टू जिला स्कूल, डीएवी समूह द्वारा संचालित प्लस टू विद्यालय, DPS समूह द्वारा संचालित प्लस टू विद्यालय एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों परीक्षा केंद्र निर्धारित किया जा सकेगा । *********

झारखंड GST (माल एवं सेवा कर) अधिनियम, 2017 की धारा- 96 के अंतर्गत झारखंड अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (Jharkhand Authority of Advance Ruling) के गठन से संबंधित अधिसूचना को मंत्रिपरिषद की मंजूरी प्रदान की गई. *********

झारखण्ड GST(माल एवं सेवा कर) अधिनियम , 2017 के अन्तर्गत निर्गत अधिसूचनाओं पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।

****

वित्तीय वर्ष 2015-16 में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषित "मुख्यमंत्री जन वन योजना" के कार्यान्वयन में आ रही कतिपय बाधाओं को दूर करने हेतु अधिसूचित मार्ग-निर्देशिका में संशोधन के संबंध में मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई. *********

नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड के अंतर्गत विभिन्न सरकारी/मान्यता प्राप्त अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों से उत्तीर्ण अभियंताओं की चयन समिति द्वारा नियुक्ति के संबंध में स्वीकृति दी गई.

****

मधुपुर नगर परिषद अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) योजना को लोक-निजी भागीदारी (Public Private Partnership Mode) की पद्धति के आधार पर कार्यान्वयन हेतु कुल लागत राशि 12278. 18 लाख (एक सो बाईस करोड़ अठहत्तर लाख अठारह हजार) एवं SBM के केंद्र मदद से रुपए 410.56 लाख (चार करोड़ दस लाख छप्पन हजार) तथा राज्य योजना मध्य 20 वर्षों में कुल राशी रुपए 5673.25 लाख (छप्पन करोड़ तिहत्तर लाख पच्चीस हजार) अर्थात कुल रुपए 6083.81 लाख (साठ करोड़ तिरासी लाख इक्यासी हजार) का अनुदान उपलब्ध कराने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति दी गई

****

सिमडेगा नगर परिषद अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के लोक-निजी भागीदारी (पीपीपी मोड) की पद्धति के आधार पर कार्यान्वयन हेतु कुल लागत राशि 10215.32 लाख (एक सो दो करोड़ पंद्रह लाख बत्तीस हजार) एवं SBM के केंद्र मद से रुपए 359.21 लाख (3 करोड़ 59 लाख 21 हजार) तथा राज्य योजना मद से 20 वर्षों में कुल राशि रुपए 3050.34 लाख (30 करोड़ 50 लाख 34 हजार) अर्थात कुल रुपए 3409.55 लाख (34 करोड़ 9 लाख 55 हजार) का अनुदान उपलब्ध कराने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

****

झारखंड राज्य के रांची में दिव्यांग जनों के पुनर्वास एवं विशेष शिक्षण हेतु कंपोजिट रीजनल सेंटर (सीआरसी) स्थापन हेतु भवन निर्माण तथा इसके संचालन के लिए राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांग संस्थान (NILD) कोलकाता को निशुल्क एवं अस्थाई रूप से भू हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई.

****

झारखंड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2018 की स्वीकृति दी गई.

****